रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2011, शनिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1933
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2011, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 321.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय, सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी), (योजना) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) (योजना)	15*(2011) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-3, रु. 15600—39100 (ग्रेड पे 5400 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अन्य मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्धसरकारी अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में ग्रेड पे 4800 रु. सहित पे बैण्ड-2, 9300—34800 रु. या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(11)
(iii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में ग्रेड पे 4800 रु. सहित पे बैण्ड-2, 9300—34800 रु. या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : **अनिवार्य :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा प्रचालन अनुसंधान अथवा गणित (सांख्यिकी सहित) अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा मानवशास्त्र अथवा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **वांछनीय :** सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, सारणीकरण और विश्लेषण में तीन वर्ष का अनुभव । (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।) **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-51011/5/2010-प्रशा.-V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 23rd November, 2011

G.S.R. 321.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Census Operations (Technical), (Plan) in the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorates of Census Operations in the States and Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directorates of Census Operations in the States and Union Territories, Assistant Director of Census Operations (Technical), (Plan) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director of Census Operations (Technical) (Plan)	15* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation including short term contract	**Deputation (including short-term contract) :** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations :

	(11)
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Anthropology or Sociology of a recognized University. **Desirable :** Three years' experience in collection, compilation, tabulation and analysis of Statistical data. [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.] **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-51011/5/2010-Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 322.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय, सहायक संकलनकर्ता समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों में सहायक संकलनकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय सहायक संकलनकर्ता भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक संकलनकर्ता	274* (2011) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-1, रु. 5200—20200 (ग्रेड पे 1900 रु.)	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा पचासी प्रतिशत (ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा दस प्रतिशत;	**I. प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(10)	(11)
(iii) पदोन्नति द्वारा पांच प्रतिशत	(ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में ग्रेड पे 1800 रु. सहित पे बैण्ड-1, 5200—20200 रु. या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य अर्हता । (ii) कौशल परीक्षण मानक केवल कंप्यूटर पर : (क) अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट अथवा (ख) हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट (अनुमत्य समय – 10 मिनट 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत से 10500 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशंस के बराबर हैं) (iii) **वांछनीय :** सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाणपत्र । **टिप्पणी 1 :** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय पदाधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी प्रतीक्षा सूची में हैं, पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । **टिप्पणी 2 :** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं चाहिए । **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं । **विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति :** **II.** प्रत्येक कार्यालय में दस प्रतिशत पदों को संबंधित कार्यालयों की नियमित स्थापना वाले 1800 रुपए की ग्रेड पे में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जोकि निम्नलिखित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं पूरी करते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य अर्हता ।

(11)

(ii) कौशल परीक्षण मानक केवल कंप्यूटर पर :

(ग) अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट

अथवा

(घ) हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट

(अनुमत्य समय – 10 मिनट

35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशंस के औसत से 10500 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशंस के बराबर हैं)

टिप्पणी 1 : परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)

टिप्पणी 2 : यदि परीक्षा में इस प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में अर्ह सिद्ध होते हैं तो इस प्रकार की अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने पर विचार किया जाएगा ताकि पहले हुई परीक्षा में अर्ह घोषित कर्मचारियों पर बाद में होने वाली परीक्षा में सफल हुए कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके ।

पदोन्नति :

III. प्रत्येक कार्यालय में पांच प्रतिशत पदों को संबंधति कार्यालयों की नियमित स्थापना वाले 1800 रुपए की ग्रेड पे में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर भरा जाएगा जोकि किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य उत्तीर्ण कर चुके हैं ।

टिप्पणी 1 : जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक और पात्रता सेवा एक से अधिक अवधि से कम न हो और यदि निर्धारित किया गया हो तो उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पणी 2 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के संबंध में समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल है :— 1. उप निदेशक जनगणना कार्य अथवा अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(12)

कोलकाता स्थित भाषा प्रभाग के संबंध में समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं :—

1. सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) —अध्यक्ष
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा भाषाविद —सदस्य
3. केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

संबंधित जनगणना कार्य निदेशक कार्यालयों के संबंध में समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं :—

1. संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य अथवा उप निदेशक जनगणना कार्य —अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य —सदस्य
3. केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए-12032/5/98-प्रशा.-II/V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

New Delhi, the 23rd November, 2011

G.S.R. 322.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Assistant Compiler, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Compiler in the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Assistant Compiler, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Compiler	274* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200 and Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(i) Eighty five per cent by deputation; (ii) ten percent by promotion through departmental qualifying examination; (iii) five per cent by promotion.	**Deputation :** **I.** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories :— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-1 Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 1800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational and other qualifications : **Essential :** (i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Skill test norms only on computers : (a) English typing @ 35 words per minute.

(11)

or

(b) Hindi typing @ 30 words per minute.

(Time allowed - 10 mts.)

(35 words per minute and 30 words per minute. Correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 key depressions for each word.)

(iii) **Desirable :** 'O' level certificate in Computer from an Institution recognized by the Department of Information Technology, Government of India.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Promotion through departmental qualifying examination :—

II. Ten per cent of the posts in each of the Offices shall be filled up on the basis of a departmental test from amongst the Group 'C' staff having three years regular service in the Grade Pay of Rs. 1800 borne on the regular establishment of the respective offices who fulfill the following educational and other qualifications :

(i) 12th Class or equivlent qualification from a recognised Board or University.

(ii) Skill test norms only on computers :

(a) English typing @ 35 words per minute.

or

(b) Hindi typing @ 30 words per minute.

(Time allowed - 10 mts.)

(35 words per minute and 30 words per minute. Correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 key depressions for each word.)

(11)

Note 1 : The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) as on the last date of receipt of applications.

Note 2 : If more of such employees than the number of vacancies available qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

Promotion :

III. Five per cent of the posts in each of the Offices shall be filled up by seniority cum fitness from amongst the Group 'C' staff having three years regular service in the Grade Pay of Rs. 1800 borne on the regular establishment of the respective offices who have passed 12th Class or equivalent from a recognised Board or University.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for office of the Registrar General, India (for considering promotion) consisting of :— 1. Deputy Director of Census Operations or Under Secretary, Office of the Registrar General, India —Chairman 2. Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member 3. Group 'A' officer of any other Central Government office —Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee for the Language Division at Kolkata (for considering promotion) consisting of :—** 1. Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language) —Chairman 2. Senior Research Officer (Language) or Research Officer (Language) or Linguist —Member 3. Group 'A' officer of any other Central Government office —Member	Not applicable.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for respective offices of the Director of Census Operations (for considering promotion) consisting of :—

1. Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations	—Chairman
2. Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations	—Member
3. Group 'A' officer of any other Central Government office	—Member

[F. No. A-12032/5/98-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 323.—चूंकि, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 246 के द्वारा, वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था, उस तारीख से जब भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसे सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगते हुए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां, दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि प्रारूप नियमों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि में किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षित नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 24 में, उपनियम (1) में "विमान में प्रवेश करेंगे या विमान में रहेंगे" शब्दों के पश्चात् "या ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. ए.वी. 11012/03/2011-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सरकारी राजपत्र में तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26, के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित तारीख 31 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ) द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th November, 2011

G.S.R. 323.— Whereas the Draft of Aircraft (Amendment) Rules, 2011 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 246, dated 25th August, 2011, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 3rd September, 2011;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 24, in sub-rule (1) after the words "shall enter or be in the aircraft" the words "or report for duty"shall be inserted.

[F. No. AV. 11012/03/2011-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 59(E), dated the 31st January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), on the 31st January, 2011.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (अधीक्षक) भर्ती नियम, 1996 और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (प्रशासनिक और लेखा सेवा) पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, अधीक्षक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक	24* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) नब्बे प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) दस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(11)

प्रतिनियुक्ति :

(1) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वाले पदों में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों का छह वर्ष का अनुभव है ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. अवर सचिव, भार साधक, स्थापना-II जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 2/5/2003-स्था. II]

अनूप सेठ, निदेशक (स्थापना-II)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 9th November, 2011

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Junior Accounts Officer) Recruitment Rules, 1996 and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1986, in so far they relate to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Superintendent, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent	24* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(i) Ninety per cent by promotion failing which by deputation; (ii) ten per cent by deputation.	**Promotion :** Upper Division Clerk with ten years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. **Deputation :** Officers of the Central Government,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years regular service in the post in pay band-1 Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) having six years experience in administration, establishment and accounts matters. **Note 1 :—**The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :—**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :—**The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 4 :—**For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been

	(11)
	extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1 Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. Under Secretary, in-charge, Establishment-II, Ministry of Water Resources, New Delhi —Member 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2/5/2003-E. II]

ANOOP SETH, Director (E. II)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 325.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध विधि सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवा, विधि सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधि सहायक	1*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में तीन वर्ष की डिग्री । या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में पांच वर्ष की डिग्री ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से श्रम विधि या श्रम कल्याण में मास्टर डिग्री ।

(ii) किसी औद्योगिक उपक्रम या सरकारी संगठन में श्रम विधियों से संबंधित सभी विधिक मामलों के संचालन करने संबंधी विधिक कार्य का तीन वर्ष का अनुभव या अर्हित विधि व्यवसायी । (अर्हित विधि व्यवसाय से कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर अभिप्रेत है जिसने उसी रूप में कम से कम दो वर्ष विधि व्यवसाय किया है या उच्च न्यायालय का कोई ऐसा अटर्नी जिसने उसी रूप में कम से कम दो वर्ष विधि व्यवसाय किया है ।)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** (1) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,— (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** नियमित आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य	प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 2/8/99-स्था. II]

अनूप सेठ, निदेशक (स्थापना-II)

New Delhi, the 11th November, 2011

G.S.R. 325.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Adminstrative and Accounts Services) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1986, in so as far they relate to the post of Legal Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Legal Assistant in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Adminstrative and Accounts Services, Legal Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Assistant	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (A) (i) Graduate from a recognised University. (ii) Three years Degree in Law from a recognised University. Or (B) (i) Higher Secondary from a recognised Board. (ii) Five years Degree in Law from a recognised University. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Desirable :** (i) Master Degree in Labour Law and Labour Welfare from a recognised University. (ii) Three years experience of legal work relating to labour laws in an Industrial Undertaking or	Not applicable	Two years

(7)
Government organisation to handle all legal matters of qualified legal practitioner. (The term qualified legal practitioner means an Advocate or Pleader who has practiced as such for at least two years or an Attorney of the High Court who has practiced as such for at least two years.)

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation/absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation/absorption :** Officers of the Central Government,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column 7. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation consisting of) :— 1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation/ absorption.

(12)	
3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources	—Member
4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member

[F. No. 2/8/99-E. II]

ANOOP SETH, Director (E. II)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 326.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	80*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच । आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी

	(7)
	(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :- उप सचिव/निदेशक —अध्यक्ष अवर सचिव —सदस्य अवर सचिव —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. डी.जी.ई. एवं टी-ए-15016/1/2010-प्रशा.-I]

तरसेम लाल, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 21st November, 2011

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Employment and Training (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1974, in so far as they relate to the Class IV posts, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of "Multi Tasking Staff" in the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi-Tasking Staff	80*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application for candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

(7)
Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— Deputy Secretary/Director —Chairman Under Secretary —Member Under Secretary —Member	Not applicable.

[No. DGE&T-A-15016/1/2010-Adm. I]

TARSEM LAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.